रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94] नई दिल्ली, सोमवार, मई 17, 1976/वैशाख 27, 1898
No. 94] NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 1976/VAISAKHA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

SECRETARIAT
No.
Date
GOVT OF INDIA

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 17th May 1976

No. DRAWBACK/PN/44/76.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

After sub-serial No. 1104 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely:—

Sub. Sr. No.	Description	Rate of drawback
1105	Silicon Carbide	10%(Ten per cent only) of the F. O. B. Value.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming in to effect of this Public Notice.

This public notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1976.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 17 मई, 1976

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 44/76.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 ए (भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उप-क्रमांक 1104 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-क्रमांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायंगी, अर्थात्:—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1105	सिलिकन कार्बाइड	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत)

उक्त माल के सम्बन्ध में अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिये निर्धारित आण्ड दे इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने पर रद्द हो जायेंगी ।

यह सार्वजनिक सूचना जनवरी, 1976 के प्रथम दिन को लागू हुई समझी जाएंगी ।

No. DRAWBACK/PN/45/76.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For Sub-serial No. 3821 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

Sub. Sr. No.	Description	Rate of drawback per kg.
3821	Enamelled Copper winding wire	
	(i) 23 Gauge and thicker	Rs. 9.30 (Rupees nine and paise thirty only)
	(ii) Thinner than 23 gauge and upto 35 gauge.	Rs. 9.15 (Rupees nine and paise fifteen only.)
	(iii) Thinner than 23 gauge and upto 44 gauge.	Rs. 9.00 (Rupees nine only).

This public notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1976.

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 45/76.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार

सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक सं० 3821 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्.—

उप-क्रमांक	विवरण	प्रतिअदायगी की दर प्रति कि० ग्रा०
3821	लपेटने का ताम्बे का इनेमालित तार	
	(i) 23 गेज एवं मोटा	9.30 रुपये (केवल नौ रुपये तीस पैसे)
	(ii) 23 गेज से महीन और 35 गेज तक महीन।	9.15 रुपये (केवल नौ रुपये पन्द्रह पैसे)
	(iii) 35 गेज से महीन और 44 गेज तक महीन।	9.00 रुपये (केवल नौ रुपये)

इस सार्वजनिक सूचना को प्रथम जनवरी, 1976 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

No. DRAWBACK/PN/46/76.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 published in Part I, Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary as amended from time to time, the Central Government hereby adds the following proviso after sub-serial No 5903 and entries relating thereto:—

"Provided that the rates of drawback mentioned in this Public Notice shall not be applicable to the exports of any of the commodities covered by this Public Notice in respect of which the facility of duty free imports of materials in terms of Notification No. 5/F. No. 602/33/75-DBK dated 31-1-1976 has been availed of."

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 46/76.—समय समय पर यथा संशोधित, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उपक्रमांक 5903 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ती है—

"परन्तु यह है कि इस सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित प्रतिअदायगी की दरें उन वस्तुओं में से किसी के भी निर्यात पर लागू नहीं होंगी, जिनके सम्बन्ध में तारीख 31-1-1976 की अधिसूचना सं० 5/फा० सं० 602/33/75—प्र० अ० के अनुसार माल के निःशुल्क आयात की सुविधा प्राप्त की जा चुकी है।

सी० डी० रंगाचारी, उप-सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976